Office : 0291- 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

# THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

No.BCR/Ju/Press/2017/2118

दिनांक 13.04.2017

## प्रेस विज्ञप्ति

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा आज दिनांक 13.04.2017 को राज्य में स्थित सभी बार संघो को एक पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है कि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया एवं राज्य बार कौंसिल के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में दिनांक 8/9 अप्रैल, 2017 को हुई संयुक्त बैठक में प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम (संशोधन) बिल, 2017 के विरोध स्वरूप जो निर्णय लिये गये है, उसके अनुसार सभी बार संघ अपने स्तर पर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करें। पत्र की प्रति इस विज्ञप्ति के साथ सलंग्न है।

इसी संदर्भ में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के तदर्थ समिति के सदस्यों की बैठक दिनांक 09.04.2017 को जयपुर में आयोजित की गई तथा उसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम (संशोधन) बिल, 2017 के विरोध स्वरूप बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा जो निर्णय लिये गये एवं दिशा–निर्देश सभी बार कौंसिल/बार संघों को जारी किये गये है, उनका वे पूर्णरूप से समर्थन प्रदान करते है।

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया एवं राज्य बार कौंसिल के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक दिनांक 8/9 अप्रैल, 2017 में प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम (संशोधन) बिल, 2017 के विरोध स्वरूप निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. दिनांक 16 अप्रैल, 2017 से देशभर के बार संघों द्वारा लॉ कमीशन की सिफारिशों को पूर्णरूप से खारिज करने एवं श्री बी.एस. चौहान को लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष पद से तुरन्त हटाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा।
2. दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को लंच अंतराल के दौरान देशभर के अधिवक्तागण अपने संबंधित न्यायालय परसिर के बाहर इक्ट्ठे होगें और लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया की सिफारिशों एवं बिल की प्रतियां जलायेगे तथा उसे कचरापात्र में डालेंगे। उसके बाद, वे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/राज्यपाल के माध्यम से केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन देंगे। ज्ञापन केन्द्रीय कानून मंत्री के नाम से होगा, एवं केन्द्र सरकार से उक्त लॉ कमीशन की सिफारिशों एवं बिल को खारिज करने की मांग की जायेगी। तत्पश्चात, 21 अप्रैल, 2017 को लंच उपरान्त देशभर के समस्त अधिवक्तागण न्यायालय कार्य से अनुपस्थित रहेगें।
3. अगर, दिनांक 1 मई, 2017 तक लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया की सिफारिशों को पूर्णरूप से अस्वीकार नही किया जाता है, तो दिनांक 2 मई, 2017 को बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा नई दिल्ली में रैली निकाली जावेगी। इस रैली में देश की बार कौंसिलों के सभी सदस्यगण (वर्तमान एवं पूर्व सदस्यगण, जो तदर्थ समितियो के सदस्य है और देश की सभी बार संघो के प्रतिनिधिगण) 11.00 बजे नई दिल्ली में पटियाला हाउस न्यायालय परिसर के बाहर एकत्रित होगे तथा यह विरोध मार्च पटियाला हाउस न्यायालय परिसर, दिल्ली से शुरू होगा और राजघाट के लिए जायेगा। इस रैली में समस्त अधिवक्तागण अपनी पूर्ण अदालती वेशभूषा में रहेगे।
4. यदि 2 मई, 2017 की रैली के बाद भी वकील विरोधी सिफारिशों के खिलाफ की गई मांगे नही मानी जाती है, तो बार कौसिल ऑफ इण्डिया, राज्य बार कौंसिलों और देशभर के बार

Office : 0291- 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

# THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN
HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

संघ बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित करेंगे और जेल भरो अभियान चलाकर, लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया के कार्यालय एवं संसद का घेराव करेगे।

इस संघर्ष को सुचारू रूप से संचालन हेतु माननीय अध्यक्ष, विशेष समिति, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा श्री अशोक मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता एव सदस्य, विशेष समिति की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्व श्री संजय शर्मा, महेशचन्द्र गुप्ता, जगमालसिंह चौधरी एवं सुरेशचन्द्र श्रीमाली सदस्यगण होंगे। यह समिति राज्य में स्थित बार संघों के अध्यक्ष/सचिव को सहवृत सदस्य के रूप में सम्मिलित या विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेगी।

(राजेन्द्रपाल मलिक)
सचिव
बार कौंसिल ऑफ राजस्थान

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिष्ठा में :–

श्रीमान सम्पादक महोदय

.....

वास्ते सभी संस्करणों में सादर प्रकाशनार्थ हेतु।